



अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी रायपुर (पाली)

बनाम सुरपत

एक्ट LR ACT 81 जीसीएमएस नम्बर 2022/3000 मुकदमा नं. 77 सन् 2022

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज   | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए |
|------------|---|--|
| 5/11/22    | <p>प्रार्थी/प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री <u>भारती कठिववा</u> द्वारा विरुद्ध अप्रार्थी/अप्रार्थीगण पेश किया गया। अतः प्रार्थी/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी/अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा <u>LR 81</u> राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955/राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि सवारों की कमी होने के कारण अप्रार्थी/अप्रार्थीगण के नोटिस की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाना चाहते हैं। चूंकि सवारों की कमी होने के कारण तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक करवाना आवश्यक है। नोटिस की तलबी हेतु प्रार्थी के खर्च पर नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक वास्ते, प्रार्थी अधिवक्ता को दस्ती दी जावे। अप्रार्थी/अप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलबी जारी होकर पत्रावली आयन्दा दिनांक <u>06/12/22</u> को पेश हों।</p> <p style="text-align: right;"> <br/>                     उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर<br/>                     रायपुर (पाली)                 </p> | <p>7/2<br/>25/11/22</p>                              |
| 06/12/22   | <p>प्रार्थी <u>भारती कठिववा</u> उपखण्ड अधिकारी के रजिस्टर्ड डाक की रसीद एवं रिपोर्ट (tracking) पेश की है। जो 24 मिनट में उपखण्ड अधिकारी के नोटिस तामिल के बसुड उपखण्ड उनके विरुद्ध एव उपखण्ड कार्यालय के नोटिस दिये जाते हैं। प्रार्थी <u>भारती कठिववा</u> ने निवेदन किया कि रजिस्टर्ड नैम्बर 02 के अपने बड़े क्षेत्र का सर्वेक्षण कामकाज उठाकर बिना किसी हस्तान्तरण के बिना किसी बंधन हस्ताक्षर के गलत तरीके से गामान्तल नैम्बर 248 दिनांक 10.06.1972 के अन्तर्गत किया, जिनकी जानकारी उपखण्ड अधिकारी को नहीं मिले है। वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी के रजिस्टर्ड नैम्बर 02 से संबंधित खसरा नम्बरों की सूची पर बराबर रूप से प्राप्ति होकर काबिल है उपखण्ड 01, गामान्तल के खसरो की सूची के 1/4 हिस्से पर काबिल है तथा उपखण्ड नैम्बर 02 से 05 एवं 07 से 11 जो 1/4 हिस्से पर काबिल है।</p> <p style="text-align: right;"> <br/>                     सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी<br/>                     रायपुर (पाली)                 </p>  | <p>Concl</p>   |

तारीख  
हुकम


अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी रायपुर (पाली)  
राजस्व मुकदमा संख्या 77/2022  
हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख  
हुकम

अज अदालत सहाय

तला मजीलाट विख्या 06 जो 1/4 हिस्से पर काबिज है। उक्त खसरान की जमीन पर मजीलाट की पुश्तकी प्रमुख सिद्ध परिवार की जानघर है, जिसमें मजीलाट का छल से उक्त पुश्तकी जानघर में एक अधिकार होता है। अतः उक्त खसरान की मजीलाट को बेवबल कर दिया जाता है। मजीलाट को जारी कर दिया जाएगा। अतः उक्त खसरान की जमीन में मजील के निस्तारण तक राजस्व रिकॉर्ड की प्रजाधिका के अन्तर्गत कोर्टा करणों।

बहरा एकपत्रील पत्ताना की शर्त।  
बहरा एवं प्यावली के अवालेक के पश्चात सरहद मांजा बिरालिया कला के खसरान नम्बर 585 रकबा 09 बीघा 12 बिस्वा मिक बाराही होना व खसरान नम्बर 450 रकबा 10 बीघा 06 बिस्वा, खसरान नम्बर 399 रकबा 07 बीघा 06 बिस्वा पर मजील के निस्तारण तक अन्तर्गत निषेधाना जारी की जाती है। अन्तर्गत एवं अन्तर्गत रिकॉर्ड एवं मांजे की प्रजाधिका बताने रखे। अन्तर्गत के एक हिस्से में अन्तर्गत नहीं करे, माही बेचान करे, मा ही बेचान बाबत अन्तर्गत की करे। उक्त प्यावली मूल प्यावली (अपने) के साथ नली हो। प्यावली के अन्तर्गत खसरान नम्बर से कम हो।

  
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,  
रायपुर (पाली)